

प्रेषक

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

- 1- आयुक्त एवं निदेशक
उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्य पालक अधिकारी।
समस्त शासकीय नियंत्रणाधीन निगम/परिषद/प्राधिकरण/स्वायत्तशासी संस्थायें, उ0प्र0।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 06 दिसम्बर, 2019

विषय:-सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थायें, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता विषयक शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर इकाइयों के महत्व तथा हथकरघा उद्योग से जुड़े बुनकरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-221/18-2-2019-12(एस0पी0)/2010, दिनांक 24 जुलाई, 2019 द्वारा सभी सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं (क्रेता एजेन्सी) द्वारा उ0 प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0 प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थायें, श्री गांधी आश्रम, उ0 प्र0 हस्तशिल्प विपणन निगम (जिन्हें आगे आपूर्तिकर्ता संस्था कहा गया है) द्वारा उत्पादित 11 प्रकार के वस्त्रों, को क्रय करने की अनिवार्यता की अवधि, शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिनांक 31-3-2022 तक कतिपय शर्तों के अधीन बढ़ायी गयी है।

2- संदर्भित शासनादेश के प्रस्तर-2(1) के उपप्रस्तर में निम्नवत व्यवस्था है-

"इस हेतु इन आपूर्तिकर्ता संस्थाओं को जेम पोर्टल पर Proprietary Status के साथ पंजीकरण कराना होगा, जिससे क्रेता विभाग "PAC (Proprietary Article Certificate)" Filter से इन संस्थाओं को चिन्हित कर संबंधित उत्पादों का क्रय कर सकेंगे।"

3- उक्त व्यवस्था के कारण राजस्व विभाग द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि संदर्भित शासनादेश की उक्त व्यवस्था में तकनीकी विषमता के फलस्वरूप जनपदों में ऊनी कम्बल के क्रय में कठिनाई आ रही है। अतः तकनीकी विषमता के दृष्टिगत उक्त व्यवस्था को एतद्वारा समाप्त करते हुये उक्त उपप्रस्तर के स्थान पर निम्न उपप्रस्तर जोड़ा जा रहा है-

"केवल ऊनी कम्बल की पूर्ति हेतु जेम पोर्टल पर खुलीबिड (जेम निविदा) श्रेणी में निविदा आमंत्रित की जायेगी, जिसकी शर्तों में केवल शासनादेश में वर्णित संस्थायें- उ0 प्र0 राज्य हथकरघा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

निगम लि0, यूपिका, उ0 प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, श्री गांधी आश्रम, उ0 प्र0 हस्तशिल्प विपणन निगम ही निविदा हेतु वैध होंगी। तदनुसार शासनादेश में निहित शर्तों एवं निर्धारित क्रय प्रक्रिया के अनुसार आपूर्ति हेतु संस्था का चयन किया जायेगा।"

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सीमा तक सदंभगत शासनादेश दिनांक 24 जुलाई, 2019 को तात्कालिक प्रभाव से संशोधित समझा जायेगा। शासनादेश में वर्णित अन्य नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

5- राजस्व विभाग से अनुरोध है कि वह कम्बल के क्रय में मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

नवनीत सहगल

प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुये अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों, निगमों व प्राधिकरणों को शासनादेश के अनुपालन हेतु सम्यक् निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
- 2- प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को कृपया समस्त निगमों/उपक्रमों को शासनादेश के अनुपालन हेतु निर्देश जारी करने हेतु।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, यूपिका, लखनऊ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 हस्तशिल्प विपणन निगम, लखनऊ।
- 8- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
- 9- गोपन अनुभाग-1/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

पन्ना लाल

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।